


## अध्याय 3: वाणिज्यिक कर

### 3.1 कर प्रशासन

आयुक्त, वाणिज्यिक कर (आ.वा.क.) वाणिज्यिक कर विभाग का प्रमुख होता है, जिसकी सहायता हेतु चार अतिरिक्त आयुक्त (अति. आयुक्त), 12 उपायुक्त (उ.आ.), 26 सहायक आयुक्त (स.आ.), 72 वाणिज्यिक कर अधिकारी (वा.क.अ.), 121 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी (स.वा.क.अ.) एवं 174 वाणिज्यिक कर निरीक्षक (वा.क.नि.) जो कि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम में निहित किये गये कार्यों के अनुसार कार्य करते हैं। उपरोक्त स्वीकृत पदों के विरुद्ध विभाग में आठ उ.आ., 25 स.आ., 50 वा.क.अ., 47 स.वा.क.अ. एवं 100 वा.क.नि. वर्तमान में कार्यरत हैं। विभाग का संगठनात्मक संरचना चार्ट 3.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.1: संगठनात्मक संरचना



वाणिज्यिक करों की प्राप्तियाँ निम्न प्रावधानों के अंतर्गत प्रशासित होती हैं:

- छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005
- छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006
- केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956
- केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीकरण और टर्नओवर) नियम, 1957
- छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम, 1976
- राज्य शासन एवं विभाग द्वारा समय समय पर जारी नियम, परिपत्र, छूट, अधिसूचनायें एवं निर्देश।

### 3.2 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 2016-17 में लेखापरीक्षा द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के कुल 54 इकाईयों में से 13<sup>1</sup> इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई। वर्ष 2015-16 में विभाग द्वारा कुल ₹ 9,956.64 करोड़ अर्जित की गई, जिसमें से लेखापरीक्षित किये गये इकाईयों द्वारा ₹ 2,028.11 करोड़ संग्रहण किया गया। इसके साथ अप्रैल 2017 एवं जून 2017 के मध्य "मूल्य संवर्धित कर के अंतर्गत प्रतिदाय की प्रक्रिया" पर एक लेखापरीक्षा भी संपन्न किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा 301 प्रकरणों में राशि ₹ 35.34 करोड़ की अनियमितायें देखी गई, जो कि तालिका 3.1 में उल्लेखित श्रेणियों में वर्णित है:

तालिका 3.1: लेखापरीक्षा परिणाम

			(₹ करोड़ में)
स.क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	मूल्य संवर्धित कर के अंतर्गत प्रतिदाय की प्रक्रिया	1	8.30
2.	कर का अवरोपण/अनारोपण	105	10.57
3.	छूट/कमी का गलत प्रदान किया जाना	51	9.45
4.	कर के दर का गलत अनुप्रयोग	15	4.80
5.	करयोग्य आवर्त का गलत निर्धारण	6	0.80
6.	अन्य अनियमितायें <sup>2</sup>	123	1.42
<b>योग</b>		<b>301</b>	<b>35.34</b>

विभाग द्वारा 50 प्रकरणों में राशि ₹ 4.86 करोड़ के अवरोपण को स्वीकार करते हुए चार प्रकरणों में ₹ 11.17 लाख की वसूली की गयी। शेष प्रकरणों में लेखापरीक्षा द्वारा, विभाग के साथ प्रकरणों का अनुशीलन किया जा रहा है।

वर्ष 2016-17 में विभाग द्वारा पूर्व के लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के 63 प्रकरणों में राशि ₹ 1.27 करोड़ की वसूली की गयी। वसूल की गई राशियों में से राशि ₹ 71.38 लाख वर्ष 2011-12 के पूर्व के लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित है।

वर्ष 2016-17 में 10 प्रारूप कंडिकाओं में सम्मिलित 101 प्रकरणों को जारी किये जाने उपरान्त विभाग द्वारा 38 प्रकरणों के कर अवरोपणों में सम्मिलित राशि ₹ 4.20 करोड़ को स्वीकारते हुए सात प्रकरणों में राशि ₹ 8.62 लाख की वसूली की गयी।

### 3.3 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुसरण

अवधि 2011-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा द्वारा 36 कंडिकाओं के माध्यम से राशि ₹ 52.46 करोड़ के विभिन्न आक्षेप लिये गये, जिसमें से विभाग द्वारा ₹ 16.64 करोड़ को स्वीकारते हुए ₹ 1.16 करोड़ की वसूली की गयी।

लोक लेखा समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वर्ष 2002-16) के चर्चा हेतु 30 कंडिकाओं का चयन किया गया एवं समिति द्वारा (वर्ष 2010-16) नौ कंडिकाओं पर

<sup>1</sup> स.आ. रायपुर, राजनांदगांव; स.आ-1, संभाग-1, बिलासपुर; स.आ-2, संभाग-1, बिलासपुर; आयुक्त, वाणिज्यिक कर, रायपुर; वा.क.अ., अंबिकापुर, मनेन्द्रगढ़, दुर्ग- वृत्त 1, रायपुर- वृत्त 1, 2, 5, 8 एवं 9

<sup>2</sup> अन्य अनियमितायें में सम्मिलित है अधिक/अस्वीकार्य आगत कर रिबेट; आवर्त में क्रेडिट नोट या छूट प्राप्त को सम्मिलित न किया जाना; श्रम घटक का सम्मिलित न किया जाना।

अनुशंसा प्रदान की गयी। हालांकि सिर्फ तीन कंडिकाओं पर ही कार्यवाही टीप प्राप्त हुई है।

वर्ष 2007-08 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (कंडिका 2.4) पर लोक लेखा समिति द्वारा 26 मार्च 2015 (22वां प्रतिवेदन) में अपनी अनुशंसा देते हुए कहा कि विभाग उन प्रकरणों में, जहाँ फार्म 'एफ' के संदेहास्पद सत्यता के आधार पर कर छूट लिये/प्रदान किये गये थे, में त्वरित कार्यवाही कर, कर वसूल करें। हालांकि विभाग द्वारा लोक लेखा समिति के अनुशंसा का अनुपालन नहीं किया गया (मार्च 2017)।

यद्यपि विभाग द्वारा वर्ष 2002-03 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के कंडिका 7.13 पर लोक लेखा समिति की अनुशंसा (81वां प्रतिवेदन, 2010-11) पर आवर्त के गलत निर्धारण के मामलों में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई परन्तु समान अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु विभाग द्वारा कोई तंत्र विकसित नहीं की गई, क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा आवर्त के गलत गणना के छः प्रकरण पाये गये (वर्ष 2016-17)।

**अनुशंसा:**

**विभाग सुनिश्चित कर कि जिन पूर्व प्रकरणों में लोक लेखा समिति द्वारा अनुशंसा दी जा चुकी हो, ऐसे प्रकरणों में समान अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न हो।**

### 3.4 'मूल्य संवर्धित कर के अंतर्गत प्रतिदाय की प्रक्रिया' पर लेखापरीक्षा

#### 3.4.1 परिचय

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम (छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम) 2005 प्रावधानित करता है कि यदि आयुक्त को यह समाधान हो जाता है कि किसी वर्ष के लिए किसी व्यवसायी द्वारा या उसकी ओर से चुकाया गया कर या शास्ति या दोनों या ब्याज, उस वर्ष के लिए इस अधिनियम के अधीन उस पर निर्धारित कर या अधिरोपित शास्ति या देय ब्याज की रकम से अधिक होती है, तो वह ऐसी रकम जिसका कि अधिक भुगतान किया जाना पाया जाए, या तो नकदी में या व्यवसायी से किसी अन्य वर्ष के संबंध में शोध कर की रकम के मद्दे ऐसे आधिक्य का समायोजन करके विहित रीति में, प्रतिदाय करेगा। अगर आगत कर रिबेट की राशि असमायोजित रहती है एवं व्यवसायी द्वारा ऐसी राशि का प्रतिदाय हेतु आवेदन करता है तो, कर निर्धारण आवेदन देने के एक वर्ष के भीतर किया जायगा एवं ऐसी राशि प्रतिदाय के रूप में भुगतान किया जा सकेगा।

#### 3.4.2 प्रतिदाय की स्वीकृति की मौद्रिक सीमा

विभाग के विभिन्न अधिकारियों के प्रतिदाय की स्वीकृति की मौद्रिक सीमा का विवरण नीचे दर्शित है:

तालिका 3.2: प्रतिदाय की स्वीकृति की मौद्रिक सीमा

स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी	प्रतिदायों की स्वीकृति की मौद्रिक सीमा (अप्रैल 2012 से मार्च 2014)	प्रतिदायों की स्वीकृति की मौद्रिक सीमा (अप्रैल 2014 से जून 2016)	प्रतिदायों की स्वीकृति की मौद्रिक सीमा (जुलाई 2016 से आज दिनांक तक)
वाणिज्यिक कर अधिकारी (वा.क. अ.)	₹ 2 लाख तक	₹ 5 लाख तक	₹ 2 लाख तक
सहायक आयुक्त (स.आ.)	₹ 2 लाख से ऊपर किन्तु ₹ 5 लाख से अनधिक	₹ 5 लाख से ऊपर किन्तु ₹ 10 लाख से अनधिक	₹ 2 लाख से ऊपर किन्तु ₹ 5 लाख से अनधिक

उपायुक्त (उ.आ.)	₹ 5 लाख से ऊपर किन्तु ₹ 15 लाख से अनधिक	₹ 10 लाख से ऊपर किन्तु ₹ 25 लाख से अनधिक	₹ 5 लाख से ऊपर किन्तु ₹ 10 लाख से अनधिक
अतिरिक्त आयुक्त (अति. आ.)	₹ 15 लाख से ऊपर किन्तु ₹ 25 लाख से अनधिक	₹ 25 लाख से ऊपर किन्तु ₹ 1 करोड़ से अनधिक	जुलाई 2016 के उपरान्त प्रतिदाय की स्वीकृति की शक्ति हटा ली गई
आयुक्त	₹ 25 लाख से ऊपर	₹ 1 करोड़ से ऊपर	राशि ₹ 10 लाख से ऊपर की प्रतिदाय एक समिति जिसमें अतिरिक्त आयुक्त (तकनीकी), सहायक आयुक्त (तकनीकी) एवं एक चार्टर्ड एकाउन्टेंट को सम्मिलित कर नियमानुसार जाँच किये जाने के बाद

### 3.4.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की गई थी कि क्या:

- प्रतिदाय की प्रणाली प्रभावी और कुशल है;
- प्रतिदाय से संबंधित समयबद्धता एवं सटीकता, नियम एवं प्रक्रिया अनुसार, जैसा की अधिनियम, नियम एवं दिशानिर्देशों में विहित है, का पालन निष्ठापूर्वक किया जा रहा है; तथा
- प्रतिदायों के लिए निर्धारित अवरोधकारी और जांच के त्वरित अभ्यास के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और निगरानी प्रणाली अस्तित्व में था।

### 3.4.4 लेखापरीक्षा मापदण्ड

वाणिज्यिक कर विभाग के निम्नलिखित अधिनियमों, नियमों एवं परिपत्रों के प्रावधानों को लेखापरीक्षा मापदण्ड हेतु स्रोत के रूप में प्रयोग किया गया था:

- छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम);
- छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 (छ.ग.मू.सं.क. नियम);
- केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (के.बि.क. अधिनियम);
- केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीकरण और टर्नओवर) नियम, 1957; एवं
- राज्य शासन एवं विभागों द्वारा समय समय पर जारी किये गये नियम, परिपत्र, छूट, अधिसूचनायें एवं निर्देश।

### 3.4.5 लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र एवं प्रक्रिया

लेखापरीक्षा का आयोजन विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा 1 अप्रैल 2012 एवं 31 मार्च 2017 के मध्य स्वीकृत किये गये प्रतिदाय प्रकरणों<sup>3</sup> की जाँच किये जाने हेतु किया गया। कुल

<sup>3</sup> वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक के प्रतिदाय प्रकरणों का निराकरण न होने के कारण लेखापरीक्षा में वित्तीय वर्ष 2012-13 तक के प्रतिदाय प्रकरणों की जाँच की जा सकी।

56 इकाईयों में से 11<sup>4</sup> इकाईयों का चयन (बिना प्रतिस्थापन स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना के आधार पर)<sup>5</sup> किया गया जो कि कुल इकाईयों का 20 प्रतिशत था।

लेखापरीक्षा कार्य के द्वारा मुख्य तौर पर यह सुनिश्चित किया जाना था कि क्या विभाग में निर्मित प्रतिदाय की प्रणाली एवं प्रक्रिया राजस्व के रिसाव रोकने हेतु पर्याप्त एवं परिपूर्ण है। लेखापरीक्षा द्वारा स्व-कर निर्धारण एवं कर निर्धारणों प्रकरणों का परीक्षण इस हेतु सुनिश्चित किया गया कि क्या प्रतिदाय एवं आगत कर रिबेट (आ.क.रि.) का अग्रणित सही किया गया है। अवधि के दौरान विभाग ने 12,431 प्रतिदाय प्रकरणों का निराकरण किया। लेखापरीक्षा ने 11 नमूना जाँच इकाईयों में कुल 2,953 प्रकरणों में से 1,325 प्रकरणों की जाँच की, जो कि नमूना जाँच इकाईयों का 44.87 प्रतिशत एवं कुल प्रतिदाय प्रकरणों का 10.65 प्रतिशत था।

लेखापरीक्षा उद्देश्य, मापदण्ड, कार्य क्षेत्र एवं प्रक्रिया पर चर्चा प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग से दिनांक 02 मई 2017 को आयोजित आगमन सम्मेलन में हुआ। बहिर्गमन सम्मेलन का आयोजन दिनांक 03 जनवरी 2018 को हुआ जहाँ पर लेखापरीक्षा परिणामों एवं अनुशंसाओं पर चर्चा हुई। बहिर्गमन सम्मेलन में चर्चा के दौरान विभाग से प्राप्त उत्तर/अभिमतों को संबंधित कंडिकाओं में सम्मिलित किया गया है।

### 3.4.6 अभिस्वीकृति

लेखापरीक्षा को समय पर वांछनीय जानकारी एवं अभिलेख उपलब्ध कराने में वाणिज्यिक कर विभाग के सहयोग की अभिस्वीकृति की जाती है।

### 3.4.7 राजस्व प्राप्ति एवं प्रतिदाय की प्रवृत्ति

वर्ष 2012-13 एवं 2016-17 के मध्य मूल्य संवर्धित कर (मू.सं.क.) एवं केन्द्रीय बिक्री कर (के.बि.क.) की वास्तविक प्राप्ति तालिका 3.3 में वर्णित है:

तालिका 3.3: राजस्व की प्रवृत्ति

( ₹ करोड़ में)

वर्ष	मू.सं.क. के अंतर्गत प्राप्ति	के.बि.क. के अंतर्गत प्राप्ति	कुल प्राप्ति
2012-13	6,072.77	855.88	6,928.65
2013-14	7,001.34	928.17	7,929.51
2014-15	7,495.75	932.36	8,428.11
2015-16	7,997.04	911.32	8,908.36
2016-17	9,012.96	914.25	9,927.21

(स्रोत: छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे)

कुल संग्रहीत राजस्व में 89 प्रतिशत मू.सं.क. से एवं 11 प्रतिशत के.बि.क. से प्राप्त हुआ।

<sup>4</sup> उपायुक्त, दुर्ग; स.आ.-1, दुर्ग, स.आ., कोरबा, स.आ.-3 रायपुर, स.आ.-5, रायपुर; वा.क.अ.-2, दुर्ग, वा.क.अ.-1, रायगढ़, वा.क.अ.-2, रायपुर, वा.क.अ.-3, रायपुर, वा.क.अ.-4, रायपुर एवं वा.क.अ.-8, रायपुर (उपायुक्त, सहायक आयुक्त एवं वाणिज्यिक कर अधिकारी इकाईयों को प्रतिदाय मूल्य के घटते क्रम में पृथक-पृथक मानकर किया गया)

<sup>5</sup> बिना प्रतिस्थापन स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना में डाटा के समान लक्षण के आधार पर छोटे समूहों, या स्तरों में बांटा जाता है। यादृच्छिक नमूना प्रत्येक समूह से समूह के आकार अनुपात में बिना नमूना की पुनरावृत्ति (बिना प्रतिस्थापना) किये चयन किया जाता है।

वर्ष 2012-13 से 2016-17 के मध्य कुल प्राप्त प्रतिदाय दावों एवं मान्य किये गये प्रतिदायों की संख्या एवं राशियों का विवरण तालिका 3.4 में वर्णित है:

तालिका 3.4: प्रतिदाय की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पंजीकृत व्यवसायियों की संख्या	प्राप्त दावों		मान्य किये गये प्रतिदाय दावों		प्राप्त दावों के विरुद्ध मान्य किये गये प्रतिदाय प्रकरणों का प्रतिशत
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	
2012-13	65,719	7,660	87.34	1,183	36.70	15.44
2013-14	75,076	7,106	109.00	2,813	85.65	39.59
2014-15	86,966	5,555	137.56	3,056	131.35	55.01
2015-16	87,915	7,542	153.23	2,995	110.29	39.71
2016-17	1,07,047	5,175	136.85	2,384	74.24	46.07

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रदायित जानकारी)

ऊपर तालिका से स्पष्ट है कि मान्य किये गये प्रतिदाय प्रकरणों एवं राशियों में लौकिक प्रवृत्ति नहीं है। साथ में यह भी देखा जा सकता है कि प्राप्त दावों के विरुद्ध मान्य किये गये प्रतिदाय प्रकरणों की संख्या का प्रतिशत 15.44 से 55.01 प्रतिशत के मध्य रहा। यह दर्शाता है कि विभाग द्वारा कम प्रतिदायों के प्रकरणों का निराकरण किया है।

लेखापरीक्षा द्वारा स्व-कर निर्धारण प्रकरणों एवं कर निर्धारण प्राधिकारियों (नि.प्रा.) द्वारा पारित निर्धारण आदेशों से देखा गया कि व्यवसायियों द्वारा समस्त दावाकृत प्रतिदाय, आगत कर रिबेट<sup>6</sup> के अग्रणित से संबंधित थे।

## लेखापरीक्षा निष्कर्ष

### 3.4.8 प्रतिदाय प्रकरणों के भुगतान में अत्यधिक विलंब

छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम, 2005 यह प्रावधानित करता है कि प्रतिदाय के आदेश पारित दिनांक से 60 दिनों के भीतर प्रतिदाय की राशि का भुगतान कर दिया जाना चाहिए। अन्यथा विभाग व्यवसायियों को छः प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान किये जाने हेतु भागी होगा।

11 नमूना जांच कर निर्धारण प्राधिकारियों में संधारित प्रतिदाय पंजी का लेखापरीक्षा द्वारा जांच किये जाने पर देखा गया कि वर्ष 2012-13 से 2016-17 के मध्य 2,953 प्रकरणों में व्यवसायियों को, प्रतिदाय मान्य किये गये। 2,953 प्रकरणों में से 1,039 प्रकरणों (35.18 प्रतिशत) में प्रतिदाय का भुगतान आदेश पारित करने के 60 दिनों के बाद के दिनांक से एक से लेकर 2,234 दिनों तक विलंब से किया गया। 1,039 प्रकरणों में से 295 प्रकरणों (28.39 प्रतिशत) में विलंब देय तिथि से एक वर्ष से अधिक था। प्रतिदाय भुगतान में विलंब के कारण ₹ 93.91 लाख का ब्याज व्यवसायियों को विभाग द्वारा देय था; जिसका भुगतान नहीं किया गया। विवरण तालिका 3.5 में वर्णित है:

<sup>6</sup> मुख्यतः छूट प्राप्त उद्योगों को विक्रय किये जाने एवं अंतर्राज्यीय विक्रय के कारण जहां कच्चे माल पर प्रदाय आगत कर रिबेट जोकि प्रतिदाय योग्य थे।

तालिका 3.5: प्रतिदाय के भुगतान में विलंब

इकाई का नाम	कुल प्रतिदाय प्रकरणों की संख्या	प्रतिदाय प्रकरणों की संख्या जहां पर विलंब पाया गया	विलंब का विस्तार	शासन द्वारा भुगतान किये जाने वाला ब्याज की राशि (₹ लाख में)
स.आ., कोरबा	185	91	02 दिनों से 673 दिनों	2.27
वा.क.अ.-2, रायपुर	297	245	02 दिनों से 1,480 दिनों	24.97
स.आ.-3, रायपुर	123	3	37 दिनों से 199 दिनों	1.28
वा.क.अ.-2, दुर्ग	310	136	01 दिन से 1,539 दिनों	5.48
स.आ.-1, दुर्ग	191	26	03 दिनों से 259 दिनों	2.60
वा.क.अ.-8, रायपुर	472	87	08 दिनों से 2,194 दिनों	8.42
उ.आ., दुर्ग	99	47	03 दिनों से 430 दिनों	12.28
वा.क.अ.-1, रायगढ़	411	129	01 दिन से 2,234 दिनों	15.82
वा.क.अ.-3, रायपुर	394	143	01 दिन से 1,622 दिनों	8.17
स.आ.-5, रायपुर	14	11	04 दिनों से 885 दिनों	2.49
वा.क.अ.-4, रायपुर	457	121	06 दिनों से 2,132 दिनों	10.13
<b>योग</b>	<b>2,953</b>	<b>1,039</b>		<b>93.91</b>

प्रतिदाय के भुगतानों के विलंब के कारण ना तो प्रतिदाय पंजी में, न ही प्रकरण नस्त्रियों में अभिलिखित थे।

बहिर्गमन सम्मेलन (जनवरी 2018) में विभाग द्वारा व्यक्त किया गया कि प्रतिदाय की स्वीकृति में विलंब का कारण व्यवसायियों के बैंक खातों का भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (आई.एफ.एस.सी) अनुसार अद्यतन न किये जाने, ई-रिफण्ड पोर्टल में तकनीकी खराबी एवं वार्षिक विवरणी के साथ संबंधित दस्तावेजों का जमा न किये जाने के कारण हुआ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह एक वर्ष से अत्यधिक विलंब होने के मुद्दे को संबोधित नहीं करता है।

#### अनुशंसा:

विभाग प्रतिदाय प्रकरणों को समयबद्ध तरीके से निराकरण करने हेतु कार्य योजना तैयार करे ताकि ब्याज के भुगतान की बाध्यता से बचा जा सके।

#### 3.4.9 आगत कर रबेट को प्रतिसत्यापित करने में कर निर्धारण प्राधिकारियों की विफलता के परिणामस्वरूप गलत दावों की स्वीकृति और आगत कर रिबेट का अनियमित अग्रणित/वापसी।

व्यवसायी द्वारा फार्म-18, VIII एवं VB (मू.सं.क., प्रवेश कर एवं कें.बि.क. का क्रमशः वार्षिक विवरणी) एवं आडिट रिपोर्ट (फार्म-50 अथवा आयकर आडिट रिपोर्ट) के प्रस्तुतीकरण का विधायिक मकसद यह है कि विक्रय, क्रयों, सकल आवर्त, करयोग्य आवर्त, कमियां आदि की तुलना/विक्रय का सत्यापन किया जा सके। कर निर्धारण के समय निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा तुलना/मिलान करते हुए कर का सही आरोपण एवं संग्रहण कर सके ताकि प्रतिदाय की स्वीकृति में कोई त्रुटि न हो।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा आदेशित (नवम्बर 2013) किया गया कि सभी व्यवसायियों को अनिवार्यतः क्रय/विक्रय का विवरण (₹ एक लाख से अधिक) प्रस्तुत किया जाना होगा ताकि उनके द्वारा दावा किये गये आ.क.रि. की सत्यता का आपसी मिलान किया जा सके।

लेखापरीक्षा द्वारा विभिन्न वाणिज्यिक कर वृत्तों के स्व-कर निर्धारण/प्रतिदाय से संबंधित अभिलेखों का आपसी मिलान करने पर पाया गया कि निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा आ.क.रि. दावों का संलग्न अनुलग्नकों से मिलान करने में विफल होने के कारण दावों का गलत मान्य हुआ, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

**(i) आगत कर रिबेट ₹ 4.19 करोड़ का त्रुटिपूर्ण अग्रणित होना**

वा.क.अ.-2, दुर्ग के अवधि 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 के स्व-कर निर्धारणों/प्रतिदायों के अभिलेखों के नमूना जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने एक ठेकेदार<sup>7</sup> द्वारा उपरोक्त अवधियों के आ.क.रि. दावों की सत्यता परीक्षण हेतु उनके मू.सं. क. एवं प्रवेश कर के वार्षिक विवरणी में दर्शाये गये क्रयों से प्रतिसत्यापित किया। लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा व्यवसायी को राशि ₹ 4.19 करोड़ (राशि ₹ 83.83 करोड़ पर न्यूनतम पाँच प्रतिशत के आधार पर गणना करने पर) का अधिक आ.क.रि. का अनियमित मान्य किया गया, जिसका विवरण तालिका 3.6 में वर्णित है।

**तालिका 3.6: आगत कर रिबेट एवं क्रयों की घोषणा**

(₹ लाख में)

वर्ष	फार्म-18 <sup>8</sup> अनुसार आ.क.रि.		फार्म-18 अनुसार कुल क्रय मूल्य (आ.क.रि. के आधार पर गणना)	फार्म-VIII <sup>9</sup> अनुसार कुल क्रय मूल्य सकल क्रय	क्रय मूल्यों में अंतर (4)-(5)
	5 % माल	14 % माल			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2011-12	78.02	39.01	1,839.07	195.05	1,644.02
2012-13	226.94	157.48	5,663.63	384.42	5,279.21
2013-14	69.27	34.63	1,632.83	173.18	1,459.65
योग					<b>8,382.88</b>

व्यवसायी द्वारा तीनों वर्षों के वार्षिक विवरणी के साथ अनिवार्य क्रय/विक्रय अनुलग्नकों एवं आ.क.रि. के समर्थन में क्रय के संबंध में कोई साक्ष्य संलग्न नहीं करने के बावजूद कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा व्यवसायी को प्रत्येक वर्ष शेष (बचत) आ.क.रि. के अग्रणित करने की अनुमति दी गयी। यह कर निर्धारण प्राधिकारी की ओर से घोर लापरवाही दर्शाता है।

बहिर्गमन सम्मेलन (जनवरी 2018) में विभाग ने व्यक्त किया कि प्रकरण छ.ग.मू.सं.क अधिनियम, 2005 के धारा 22(1) के अंतर्गत खोला गया है। आगे की कार्यवाही प्रतीक्षित है (अगस्त 2018)।

**(ii) कर ₹ 3.24 करोड़ का अवरुपण होने से ₹ 2.76 करोड़ का गलत प्रतिदाय**

**(क)** स.आ.-3, रायपुर के कर निर्धारण/प्रतिदाय अभिलेखों के जाँच में लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि एक व्यवसायी<sup>10</sup> ने ₹ 20.22 करोड़ का चावल (करमुक्त) एवं ₹ 6.94 करोड़ का ब्रान, पीली मटर दाल, चावल (करमुक्त) बिक्री क्रमशः वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में दर्शाया। हालांकि लेखापरीक्षा द्वारा व्यवसायी के पंजीयन प्रमाण पत्र से उसका व्यवसाय गतिविधि की जाँच करने पर पता चला कि व्यवसायी का मशीन, अर्द्ध-मशीन, अमशीन स्टील, कास्ट आयरन एवं अन्य स्टील कार्टींग अयस्क के निर्माण

<sup>7</sup> मेसर्स न्यू लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी

<sup>8</sup> मूल्य संवर्धित कर का वार्षिक विवरणी

<sup>9</sup> प्रवेश कर का वार्षिक विवरणी

<sup>10</sup> मेसर्स शिवालिक पावर एण्ड स्टील प्रायव्हेट लिमिटेड



के अलावा कोई अन्य विक्रय गतिविधि नहीं था। आगे व्यवसायी के वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के आयकर आडिट रिपोर्ट में व्यापारिक माल के आवर्त में निरंक दिखाया था। अतः व्यवसायी द्वारा कस्मुक्त माल की बिक्री में करयोग्य वस्तुओं का व्यपवर्तन कर शामिल किये जाने से इंकार नहीं किया जा सकता। किसी भी घटना में कर निर्धारण प्राधिकारी ने शुद्ध कर मुक्त माल के विरुद्ध ₹ 1.36 करोड़ (₹ 27.16 करोड़ का पाँच प्रतिशत की दर से) मू.सं.क. का अवरोपण की अनुमति और अतिरिक्त आ.क.रि. के विरुद्ध ₹ 1.32 करोड़ का गलत प्रतिदाय किया।

बहिर्गमन सम्मेलन (जनवरी 2018) में विभाग ने व्यक्त किया कि प्रकरण छ.ग.मू.सं.क अधिनियम, 2005 के धारा 22(1) के अंतर्गत खोला गया है। आगे की कार्यवाही प्रतीक्षित है (अगस्त 2018)।

(ख) लेखापरीक्षा में आवर्त का गलत गणना का विवरण तालिका 3.7 में दर्शाया गया है:

तालिका 3.7: आवर्त का गलत निर्धारण

(₹ लाख में)

स. क्र.	इकाई का नाम	कर निर्धारण वर्ष (निर्धारण का माह एवं वर्ष)	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा गणना की गई सकल आवर्त	आयकर आडिट रिपोर्ट में प्रदर्शित सकल आवर्त	आवर्त का अंतर	आरोपणीय / आरोपित कर का दर	अवरोपण / अनारोपण	प्रतिदाय
1	स.आ.-3, रायपुर	2011-12 (मार्च 2016)	9,097.39	12,848.59	3,751.20	5/0	187.56	144.00
<p>एक व्यवसायी विद्युत ऊर्जा एवं स्टील इंसर्टस के निर्माण एवं विक्रय का कार्य करते थे, ने वर्ष 2011-12 में ₹ 37.51 करोड़ की स्थायी परिसम्पत्ति का विक्रय किया। पाँच प्रतिशत दर से विक्रित स्थायी सम्पत्ति को सकल आवर्त में सम्मिलित करने में कर निर्धारण प्राधिकारी विफल रहा। परिणामस्वरूप ₹ 1.88 करोड़ (₹ 37.51 करोड़ का पाँच प्रतिशत) के कर का अवरोपण हुआ। आगे, कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा इसे अधिक कर जमा मानते हुए व्यवसायी को ₹ 1.44 करोड़ का प्रतिदाय प्रदान किया गया।</p>								

बहिर्गमन सम्मेलन (जनवरी 2018) में विभाग ने व्यक्त किया कि प्रकरण को पुनः खोला गया है। आगे की कार्यवाही प्रतीक्षित है (अगस्त 2018)।

#### अनुशंसा:

विभाग द्वारा ऐसी व्यवस्था लागू की जानी चाहिए जिसमें मू.सं.क., प्रवेश कर एवं अन्य विवरणियों को आगत कर रिबेट से मिलान किया जाना अनिवार्य हो एवं उन कर निर्धारण अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करें जो आवश्यक जांच/परोक्षण करने में विफल रहें हो।

#### 3.4.10 संकर्म संविदा के आवर्त का गलत निर्धारण

विभाग द्वारा संकर्म संविदा व्यवसायियों के करयोग्य आवर्त गणना के संबंध में जारी परिपत्र (सितम्बर 2012) का कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पालन न किये जाने से ₹ 86.77 लाख का गलत प्रतिदाय।

शासन द्वारा निर्देशित (सितम्बर 2012) किया गया कि संकर्म संविदा के मामलों में करयोग्य आवर्त की गणना सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय<sup>11</sup> के अनुसार श्रम एवं सेवाओं से संबंधित व्ययों को घटा कर किया जायेगा।

उ.आ., दुर्ग के निर्धारण/प्रतिदाय अभिलेखों की नमूना जाँच में देखा गया कि कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा एक संकर्म संविदा व्यवसायी के वर्ष 2009-10 का कर

<sup>11</sup> मेसर्स गैनन डंकरली एण्ड कंपनी विरुद्ध राजस्थान सरकार (1993)

निर्धारण करते हुए (फरवरी 2014) ₹ 25.98 करोड़ का करयोग्य आवर्त गणना कर ₹ 1.53 करोड़ कर का आरोपण किया गया। आगे, कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कर एवं स्रोत पर कर कटौती का समायोजन करते हुए ₹ 1.49 करोड़ का आगत कर रिबेट को अग्रणित किया गया। जबकि, कर निर्धारण प्राधिकारी उपरोक्त सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार करयोग्य आवर्त करने में असफल हुआ। कार्य को सबलेट करना, श्रमिकों पर खर्च, मशीन पर किये गये व्यय आदि खर्च को घटा कर लेखापरीक्षा द्वारा करयोग्य आवर्त ₹ 41.90 करोड़<sup>12</sup> संगणित किया जिस पर कर ₹ 2.40 करोड़<sup>13</sup> आरोपणीय था। परिणामस्वरूप कर की राशि ₹ 86.77 लाख का अवरुपण हुआ। लेखापरीक्षा द्वारा यह भी देखा गया कि व्यवसायी ने 2010-11 में पूर्व वर्ष के अग्रणित आगत कर रिबेट पर ₹ 95.00 लाख का प्रतिदाय भी प्राप्त किया। अगर लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गए अनियमितता को कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा देखा जाता तो ₹ 95.00 लाख की प्रतिदाय की राशि घटकर ₹ 8.23 लाख रह जाती। परिणामस्वरूप ₹ 86.77 लाख का आ.क.रि. अधिक मान्य किया गया।

लेखापरीक्षा आक्षेपों के जवाब में विभाग ने अपने उत्तर में कहा कि प्रकरण छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम, 2005 के धारा 22(1) के अंतर्गत खोला गया है एवं राशि ₹ 86.77 लाख की मांग जारी (मार्च 2018) की गयी है। वसूली के संबंध में अभी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है (अगस्त 2018)।

## अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

### मूल्य संवर्धित कर

#### 3.5 मालों का गलत वर्गीकरण

कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा मू.सं.क. के सही दर को अनुप्रयोग न किये जाने से कर ₹ 4.64 करोड़ का अवरुपण।

लेखापरीक्षा द्वारा स.आ., राजनांदगांव एवं तीन वृत्त कार्यालयों<sup>14</sup> के अभिलेखों की नमूना जाँच किये जाने पर देखा गया कि चार व्यवसायियों के अवधि 2011-12 एवं 2013-14 के मध्य सात प्रकरणों (चार स्व कर निर्धारित एवं तीन निर्धारित) का कर निर्धारण नवम्बर 2013 एवं अगस्त 2016 के मध्य व्यवसायियों ने अवशिष्ट माल जो कि 14 प्रतिशत की दर से करयोग्य था पर पाँच प्रतिशत की दर से करारोपण किया। निवर्तित प्रकरणों में भी मालों का गलत वर्गीकरण को पकड़ने में कर निर्धारण प्राधिकारी

<sup>12</sup> सकल प्राप्तियाँ (₹ 113.44 करोड़) – श्रम एवं सेवाओं पर खर्च एवं लाभ (₹ 71.54 करोड़) = करयोग्य आवर्त (₹ 41.90 करोड़)

<sup>13</sup>

विक्रय मूल्य (कुल विक्रय को क्रय के अनुपात में भाग देने पर)	कर की दर	कर की राशि (लाख में)
524.79	12.5 %	58.31
322.71	14 %	39.63
2,766.95	4 %	106.42
151.92	5 %	7.23
192.36	करमुक्त	निरंक
231.40 (व्यापारिक माल)	12.5 %	28.42
<b>4,190.13</b>		<b>240.01</b>

<sup>14</sup> वा.क.अ., रायपुर-1; रायपुर-5 एवं रायपुर-9

असफल रहें एवं पाँच प्रतिशत प्रयुक्त किया। हालांकि लेखापरीक्षा ने विवरणी के साथ संलग्न दस्तावेजों (क्रय/विक्रय सूची) को प्रतिसत्यापन में पाया कि अवशिष्ट माल (सरफेस मारुन्टेड वाटर पम्प, फैंब्रिकेटड/स्ट्रक्चरल आयटम, इलेक्ट्रीक पैनल एवं मैटालाईजड फिल्म) 14 प्रतिशत की दर से करारोपणीय था। परिणामस्वरूप ₹ 4.64 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि विभाग मूस.क. के करारोपण एवं कर निर्धारण के लिए CGCOMTAX सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली का उपयोग कर रहा था। यद्यपि इस प्रणाली में संहिताबद्ध मालों एवं व्यवसायियों द्वारा मालों के साथ कर की दर इंद्राज करने की व्यवस्था नहीं थी। ऐसी प्रणाली की अनुपलब्धता के कारण व्यवसायियों द्वारा वस्तुओं/मालों के वर्गीकरण करने में त्रुटि एवं करारोपण प्राधिकारियों द्वारा वर्षों तक पकड़ने में असफल रहने से कर का कम आरोपण एवं भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित (मई 2017) किये जाने पर विभाग ने अपने उत्तर (जुलाई 2017) में कहा कि पांच प्रकरणों में कर अंतर की राशि ₹ 1.26 करोड़ की मांग जारी कर दी गई है एवं दो प्रकरणों को खोला जा रहा है। वसूली की कार्यवाही के संबंध में विभाग से उत्तर अप्राप्त है (अगस्त 2018)।

**अनुशंसा:**

विभाग अवशिष्ट मालों पर कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा सही दर से करारोपण में असफल होने को सतर्क दृष्टिकोण से जाँच कर उचित कार्यवाही करे।

### 3.6 कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण

**कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज राशि ₹ 1.02 करोड़ का आरोपण न किया जाना।**

लेखापरीक्षा द्वारा दो इकाईयों<sup>15</sup> के कर निर्धारण प्रकरणों के अभिलेखों के नमूना जाँच में पाया गया कि कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा वनमण्डलाधिकारी (व.म.अ.), बिलासपुर एवं उत्तर सरगुजा द्वारा वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के वनोत्पाद विक्रय पर मूस.क. की राशि क्रमशः ₹ 1.43 करोड़ एवं ₹ 97.18 लाख भुगतान न किये जाने से कर की राशि ₹ 2.41 करोड़ की मांग (दिसम्बर 2015 एवं मई 2016) जारी की गयी, परन्तु विलंबित भुगतान पर ब्याज की राशि ₹ 1.02 करोड़ का आरोपण नहीं किया।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि विभाग मूस.क. के करारोपण एवं कर निर्धारण के लिए CGCOMTAX सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली का उपयोग कर रहा था। प्रणाली में कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज की गणना का प्रावधान नहीं था। ऐसी प्रणाली के अभाव में, विलंब से कर का भुगतान होने पर, ब्याज की गणना, कर निर्धारण प्राधिकारी के स्वविवेक पर छोड़ा गया था।

उत्तर में विभाग ने कहा (जुलाई 2017) कि ब्याज की राशि की मांग जारी कर दी गई है। आगे की कार्यवाही प्रतीक्षित है (अगस्त 2018)।

**अनुशंसा:**

विभाग को विलंबित कर के भुगतान पर ब्याज की गणना, कर निर्धारण प्राधिकारी के स्वविवेक पर न छोड़कर एक सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र विकसित करना चाहिए।

<sup>15</sup> स.आ.-1 एवं स.आ.-2, संभाग-1, बिलासपुर